मेज़बानी करने वाले प्रशिक्षुओं के लिए नियम

अनुच्छेद 1 (उद्देश्य)

ये नियम प्रशिक्षण की अवधि के दौरान ओडीए(ODA) द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम या कार्बन रिडक्शन टेक्नोलॉजी प्रमोशन (CRTP) कार्यक्रम की योजना के तहत the Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (इसके बाद "एओटीएस(AOTS)" के रूप में संदर्भित) द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग लेने के लिए विदेश से आने वाले प्रशिक्षुओं द्वारा पालन किये जाने वाले दायित्वों और अन्य प्रासंगिक मामलों को निर्धारित करते हैं।

अनुच्छेद 2 (कानूनों का अनुपालन, आदि)

प्रशिक्षुओं को जापानी कानूनों और नियमों और उन विनियमों का पालन करना होगा जो एओटीएस(AOTS) या मेज़बान कंपनी द्वारा अच्छे विश्वास में स्थापित किए गए हैं।

2. पूर्ववर्ती पैराग्राफ के प्रावधान के तहत, किसी भी प्रशिक्षु को किसी अन्य कंपनी द्वारा पूर्णकालिक, अंशकालिक या किसी अन्य प्रकार के कर्मचारी के रूप में नियोजित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 3 (प्रशिक्षुओं के जापान में प्रवेश से पहले संचार)

विदेशों से आवेदन करने वाले प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण शुरू होने से दो सप्ताह पहले अपनी "शर्तों की स्वीकृति", हवाई टिकट और रसीदों की एक फोटोकॉपी जमा करके जापानी कानूनों और एओटीएस(AOTS) नियमों और विनियमों के अनुपालन की अपनी सहमति और जापान में अपने प्रवेश करने और अपने गृह देश लौटने की तारीखों के बारे में एओटीएस(AOTS) को सूचित करना होगा।

अनुच्छेद 4 (जापान में प्रवेश)

प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण शुरू होने से एक दिन पहले जापान में प्रवेश करना होगा। हालाँकि, एओटीएस(AOTS) द्वारा स्वीकृत अपरिहार्य कारणों से, प्रशिक्षु प्रशिक्षण शुरू होने से 2 दिन पहले जापान पहुंच सकते/सकती हैं।

अनुच्छेद 5 (प्रशिक्षण कार्यक्रम और भागीदारी)

प्रशिक्षुओं को एओटीएस(AOTS) या एओटीएस(AOTS) की मंजूरी के साथ मेज़बान कंपनी द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम का पालन करते हुए, अपने प्रशिक्षण में मेहनती होना चाहिए।

2. प्रशिक्षुओं को सभी प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग लेना होगा जब तक कि खराब स्वास्थ्य जैसे अपरिहार्य कारणों से ऐसा करना संभव न हो।

अनुच्छेद 6 (भत्ते, आदि)

प्रशिक्षु एओटीएस(AOTS) मानकों के अनुसार भत्ते और सेवाएं प्राप्त करने के हकदार होंगे/होंगी।

अनुच्छेद 7 (प्रशिक्षु के अनुरोध या शिकायतें)

प्रशिक्षु अपने प्रशिक्षण या भत्तों और उनकी अन्य शर्तों में सुधार के लिए एओटीएस(AOTS) से अनुरोध करने या एओटीएस(AOTS) के खिलाफ शिकायत करने के हकदार होंगे/होंगी। एओटीएस(AOTS) संबंधित पक्षों से परामर्श करने के बाद मामले को सुलझाने के लिए तुरंत कोई भी आवश्यक और संभावित उपाय करेगा। हालाँकि, संबंधित प्रशिक्षु को ऐसे किसी भी मामले पर एओटीएस(AOTS) के अंतिम फैसले को स्वीकार करना होगा।

अनुच्छेद 8 (सुरक्षा का ध्यान रखें, आदि)

प्रशिक्षुओं को स्वास्थ्य और सुरक्षा का उचित ध्यान रखना होगा ताकि उनके प्रशिक्षण की निरंतरता में कोई बाधा न आए।

2. पूर्ववर्ती पैराग्राफ को ध्यान में रखते हुए, कोई भी प्रशिक्षु ऑटोमोबाइल (मोटरसाइकिल सहित) या साइकिल नहीं चलाएगा/चलएगी। हालाँकि, एक प्रशिक्षु को मेज़बान कंपनी द्वारा निर्धारित सुरक्षा शिक्षण और बीमा से संबंधित कुछ प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद साइकिल का उपयोग करने की अनुमति केवल तभी दी जाएगी, जब ऐसे

प्रशिक्षण की अवधि के दौरान उसके आवास और विशेष तकनीकी प्रशिक्षण के स्थान के बीच कोई उचित सार्वजनिक परिवहन न हो, और अन्य साधनों के उपयोग से उसे ऐसे प्रशिक्षण के स्थान पर आने-जाने में परेशानी होगी।

अनुच्छेद 9 (आवास)

प्रशिक्षु एओटीएस(AOTS) या मेज़बान कंपनी द्वारा निर्दिष्ट या अनुमोदित आवास पर रहेंगे।

2. जब किसी प्रशिक्षु से पिछले पैराग्राफ में निर्धारित आवास के अलावा किसी अन्य आवास पर रहने का अनुरोध किया जाता है तो प्रशिक्षु को एओटीएस(AOTS) की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। विशेष तकनीकी प्रशिक्षण की अवधि के दौरान, ऐसे अनुरोध के बारे में एओटीएस(AOTS) को मेज़बान कंपनी के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

अनुच्छेद 10 (एओटीएस केंशु केंद्र(AOTS Kenshu Center) का कर्फ्यू)

एओटीएस केंशु केंद्र(AOTS Kenshu Center) में रहने वाले प्रशिक्षु रात 11:00 बजे गेट बंद होने के समय तक बाहर से वापस आ जाएंगे/जाएंगी। यदि अपरिहार्य कारणों से उस समय से पहले केंद्र में उनकी वापसी असंभव मानी जाती है तो उन्हें एओटीएस(AOTS) को पहले से सूचित करना होगा।

अनुच्छेद 11 (परिवार के साथ जाना या आमंत्रित करना)

किसी भी प्रशिक्षु को परिवार को अपने साथ जापान नहीं ले जाना चाहिए, न ही अपने जापान में आमंत्रित करना चाहिए। हालाँकि, यदि कोई प्रशिक्षु अपरिहार्य कारणों से अपने परिवार को आमंत्रित करना चाहता/चाहती है तो प्रशिक्षु को एओटीएस(AOTS) की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। विशेष तकनीकी प्रशिक्षण की अवधि के दौरान, इस तरह के इरादे के बारे में मेज़बान कंपनी के माध्यम से एओटीएस(AOTS) को सूचित किया जाएगा।

अनुच्छेद 12 (जापान से अस्थायी रूप से अनुपस्थिति)

कोई भी प्रशिक्षु जापान नहीं छोड़ेगा। हालाँकि, जब कोई प्रशिक्षु अपरिहार्य कारणों से अस्थायी रूप से जापान छोड़ना चाहता/चाहती है तो प्रशिक्षु को एओटीएस(AOTS) की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। विशेष तकनीकी प्रशिक्षण की अवधि के दौरान, इस तरह के इरादे के बारे में मेज़बान कंपनी के माध्यम से एओटीएस(AOTS) को सूचित किया जाएगा।

अनुच्छेद 13 (बीमा)

प्रशिक्षु एओटीएस(AOTS) द्वारा एक बीमा कंपनी के साथ किए गए विदेशी यात्रा दुर्घटना बीमा अनुबंध के तहत चिकित्सा और कोई अन्य उपचार प्राप्त करने के हकदार होंगे/होंगी, जिसका बीमाधारक प्रशिक्षु होगा/होगी, जो बाहरी मूल की अचानक और अप्रत्याशित घटना के कारण प्रशिक्षुओं को लगी चोट और/या दुर्घटनाओं से बचाव के लिए प्रदान किया जाएगा, चाहे उनके प्रशिक्षण की प्रासंगिकता कुछ भी हो। ऐसे बीमा अनुबंध के प्रीमियम का भुगतान एओटीएस(AOTS) करेगा।

2. यदि एक प्रशिक्षु से कोई ऐसा उपचार कराने की उम्मीद की जाती है जिसके लिए बीमा अनुबंध में निर्दिष्ट चिकित्सा उपचार की ऊपरी सीमा से अधिक खर्च की आवश्यकता है तो उसे एओटीएस(AOTS) के निर्देश प्राप्त करने के लिए उस तथ्य के बारे में एओटीएस(AOTS) को पहले से सूचित करना होगा। विशेष तकनीकी प्रशिक्षण की अवधि के दौरान, एओटीएस(AOTS) को ऐसी जानकारी मेज़बान कंपनी के माध्यम से दी जाएगी।
3. जब कोई प्रशिक्षु बीमारी और/या चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होता/होती है या किसी अन्य दुर्घटना में शामिल होता/होती है जो प्रशिक्षण कार्यक्रम में हस्तक्षेप कर सकता/सकती है तो प्रशिक्षु को तुरंत मेज़बान कंपनी या एओटीएस(AOTS) को इस तथ्य के बारे में सूचित करना होगा।
4. बीमा कंपनी द्वारा किए जाने वाले बीमा भुगतान को छोड़कर, एओटीएस(AOTS) इस लेख के पहले पैराग्राफ में निर्धारित दुर्घटनाओं आदि के परिणामस्वरूप प्रशिक्षुओं को हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

अनुच्छेद 14 (प्रशिक्षु के कारण हुई हानि)

जब किसी प्रशिक्षु ने जानबूझकर या घोर लापरवाही के माध्यम से एओटीएस(AOTS) या मेज़बान कंपनी को नुकसान पहुंचाया है तो एओटीएस(AOTS) या मेज़बान कंपनी द्वारा प्रशिक्षु से ऐसे नुकसान की भरपाई करने मांग की जा सकती है।

अनुच्छेद 15 (प्रशिक्षुता से वंचित करना)

जब किसी प्रशिक्षु के संबंध में निम्नलिखित में से कोई एक कारण मौजूद हो, तो उसके बाद प्रशिक्षु को उसकी

प्रशिक्षुता से वंचित किया जा सकता है।

(1) प्रशिक्षु इन नियमों में दिए गए किसी भी मामले का उल्लंघन करता/करती है।

(2) यदि उसका प्रशिक्षण आगे भी जारी रखा जाता है, तो प्रशिक्षु अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएगा/पाएगी क्योंकि या तो प्रशिक्षु में क्षमता या इच्छाशक्ति की कमी है या क्योंकि प्रशिक्षु अपने आचरण या प्रशिक्षण रवैये में दोषी है।

(3) बीमारी या चोट के कारण प्रशिक्षु के लिए अपना प्रशिक्षण जारी रखना लगभग असंभव हो जाता है।

(4) प्रशिक्षु द्वारा एओटीएस(AOTS) की प्रतिष्ठा और स्थिति को बहुत नुकसान पहुँचाया गया है, या

(5) ऊपर बताए गए किसी भी कारण के समतुल्य कोई समस्या है।

2. जब एओटीएस(AOTS) और मेज़बान कंपनी के बीच प्रशिक्षण की मंजूरी वापस ले ली जाती है, या किसी प्रशिक्षु के संबंध में प्रशिक्षण बंद कर दिया जाता है, तो उसके बाद प्रशिक्षु स्वचालित रूप से अपनी प्रशिक्षुता से वंचित हो जाएगा।

3. ऐसे मामले में जहां एक प्रशिक्षु पिछले दो पैराग्राफ में बताए गए किसी भी कारण से अपनी प्रशिक्षुता से वंचित हो जाता है, तो प्रशिक्षु को उसके प्रशिक्षण और रहने के लिए आवश्यक खर्च को पूर्ण या आंशिक रूप से, सैद्धांतिक रूप में, एओटीएस(AOTS) को या तो सीधे या मेज़बान कंपनी के माध्यम से चुकाना होगा।

अनुच्छेद 16 (घर वापसी)

एक प्रशिक्षु को अपना प्रशिक्षण पूरा होने या अपनी प्रशिक्षुता से वंचित होने के बाद जितनी जल्दी हो सके घर लौटना होगा; बशर्ते, यह उस मामले में लागू नहीं होगा जहां प्रशिक्षु एओटीएस(AOTS) की मंजूरी प्राप्त करता/करती है।

2. जब भी कोई प्रशिक्षु अपने प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद पिछले पैराग्राफ के प्रावधान को छोड़कर, आठ दिन या उससे अधिक समय तक जापान में रहता/रहती है, तो एओटीएस(AOTS) वापसी-यात्रा के लिए हवाई किराया का भुगतान नहीं करेगा।

3. पूर्ववर्ती लेख के तीसरे पैराग्राफ के प्रावधान इस लेख के पिछले पैराग्राफ के मामले में यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

अनुच्छेद 17 (प्रमाणपत्र)

जब कोई प्रशिक्षु निर्धारित प्रशिक्षण को संतोषजनक ढंग से पूरा करता है, तो प्रशिक्षण पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी करने के नियमों के अनुसार एओटीएस(AOTS) द्वारा प्रशिक्षु को प्रशिक्षण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

अनुच्छेद 18 (विविध प्रावधान)

एओटीएस(AOTS) समय-समय पर उन मामलों का निर्धारण कर सकता है, जिनके लिए यहां प्रावधान नहीं किया गया है, या जिन पर इन नियमों को लागू करना मुश्किल है।

अनुपूरक प्रावधान

ये नियम 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगे।